

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

2- निदेशक,  
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2015

विषय:- इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट-2001 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को 'डेजीगनेटेड एजेन्सी' नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा अनुभाग3 के शासनादेश संख्या-3873/24-3-2006, दिनांक 24 नवम्बर, 2006 द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश (नेडा) को इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट-2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत "डेजीगनेटेड एजेन्सी" नामित किया गया था तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया था।

2- ऊर्जा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3306/चैबीस-पी-3/2007, दिनांक 07-12-2007 द्वारा उक्त शासनोदश में संशोधन करके उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को "डेजीगनेटेड एजेन्सी" नामित किया गया था तथा ऊर्जा विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया था।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट-2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास

अभिकरण (यूपीनेडा) को "डेजीगनेटेड एजेंसी" नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन इसका प्रशासकीय विभाग होगा।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पार्थ सारथी सेन शर्मा  
सचिव।

संख्या: 35/2015/656(1)/45-वि०(अति०ऊ०स्रो०वि०)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, 14-सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, ब्यूरो आफ इनर्जी एफीसैंसी ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, हाल नं०-4, दूसरा तल एन०बी०सी०सी० टावर, 15 भीखाजी प्लेस, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 5- निदेशक, विद्युत नियामक आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- ऊर्जा अनुभाग-1/2/3 व ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देशराज  
संयुक्त सचिव।